



①

झारखण्ड JHARKHAND

Deed No: 15/2018

आपत्ति नहीं हो ता
 खण्ड पर अधिपति/प्रतिलिपि
 का आदेश दिया जा सकता है
 (I) - 100.00
 (II) (III) - 100.00
 बी - 1700.00
 (IV) 1900.00

fee paid by

G.R.N.No-2103654757
 dated - 5/01/2021

one thousand nine hundred only

139, 140, 141

5/01/2021

03AA 628751

सच्ची प्रतिलिपि
 6-1-2021

जिला अवर निबंधक

दुमका 5/01/2021





झारखण्ड JHARKHAND

नियम 21 के अधीन ग्रान्ट
भारतीय स्टाम्प अधिनियम
(इंडियन स्टाम्प ऐक्ट) 1899
की अनुच्छेद 1 के 1क.सं०
23 के अधीन यथायत्
स्टाम्प कर्तव्य (2) स्टाम्प
धुलक से विमुक्त या
स्टाम्प शुल्क अर्पित नहीं।

fee paid by online payment.
118012759202799 -
दस्तावेज - 27/01/18.

SALE - DEED

नाम लेख्यकारीगण
पिता/पति का नाम
वो निवास स्थान
आदि ।
(बिक्रेतागण)

श्रीमति लीना चौधरी पति श्री सुवीर चौधरी वो पिता
स्व० विष्णु दयाल धीवर वो (2) श्री गौतम कुमार
धीवर पिता स्व० विष्णु दयाल धीवर दोनों की माता
स्व० सुमित्रा धीवर, जाति- केवट, पेशा क्रमशः- गृहिणी
एवं नौकरी, साकिनान- रसिकपुर दुमका, थाना - दुमका
टाउन, सवडिवीजन वो रजिस्ट्री ऑफिस दुमका, जिला-दुमका,
(झारखण्ड) भारतीय नागरिक । लेख्यकारी संख्या- 1
का वर्तमान पता- रामेश्वर अग्रवाल घाट, चन्दन नगर
हूगली (प.बं.)

PAN No. - BDJPC 8867L
PAN No. - AGBPD3700D

नाम लेख्यघारी
पति का नाम वो
निवास स्थान
आदि ।
(क्रेता)

श्रीमति रेबा धीवर पति स्व० विष्णु दयाल धीवर
(द्वितीय पत्नी) जाति- केवट, पेशा- गृहिणी, साकिन-
रसिकपुर दुमका, थाना - दुमका टाउन, सवडिवीजन वो
रजिस्ट्री ऑफिस दुमका, जिला-दुमका, (झारखण्ड) भारतीय
नागरिक । PAN No. -AJWPD7214L

जिला अपर निबंधक
दुमका

Stamp - 100/-
D 227494
27/01/18

सुश्री रेबा धीवर
रसिकपुर दुमका
27/01/18
RIBATI K. DHIBAR
RASIKPUR DUMKA
27/01/18

27.1.18

(2) 103
लेख्य प्रकार : - विक्रय-पत्र (Sale - Deed)

सम्पत्ति का मूल्य :- मो० 11,00,000/- (ग्यारह लाख) रुपये मात्र परन्तु सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यांकन के आधार पर सम्पत्ति का मूल्य मो० 20,72,000/- रुपये हैं जिसमें जमीन का मूल्य मो० 14,49,000/- रुपये तथा पुराना मकान का मूल्य मो० 6,23,000/- रुपये होता है।

सम्पत्ति का पूर्ण विवरण, जिसे विक्रय करते हैं।

तफसील हक बसौड़ी परती सहन जमीन जिसमें करीब 500 वर्गफीट पर बना पुराना पक्का मकान मय कुल हक वो अधिकार इत्यादि अन्दर मौजा रसिकपुर थाना नं० - 02, तालुकघाट- रसिकपुर, थाना दुमका टाउन सबडिविजन वो रजिस्ट्री ऑफिस दुमका, जिला दुमका का तौजी नम्बर 618, बसौड़ी का जमाबन्दी नम्बर 150/1 नगरपालिका वार्ड नम्बर पुराना- 7, जो अभी नगरपालिका क्षेत्र के बाहर है। जिसका मानचित्र शामिल दस्तावेज में संलग्न है। जिसमें विक्रीत सम्पत्ति को लाल रंग से दिखाया गया है। जिसका दाग नं०, चौहद्दी एवं रकवा निम्न प्रकार है :-

दाग नम्बर	चौहद्दी	किस्म ए० - डि०
513 (पाँच सौ तेरह) का अंश।	उत्तर - अयोध्या साह। दक्षिण - रास्ता (विवेकानन्द पथ) पूरब - रेलवे स्टेशन रोड। पश्चिम - नोरु बाबू का बगान।	इसी चौहद्दी के अन्दर बसौड़ी स्वत्व की परती जमीन सह पुराना पक्का मकान मय कुल हक वो अधिकार इत्यादि रकवा - मवाजी - 00-04-00 धूर ए० डि० 00 - 6.66 डि०

चार कट्टा मात्र। सलाना खजाना मोताबिक रसीदी।

जिला अवर निबंधक
दुमका

Leena choudhury
27.1.18

Gupta & Shrivastava
27/01/18

(3) (4)

विदित हो कि उपरोक्त सम्पत्ति लेख्यकारीगण की स्वर्गीय
माता सुमित्रा धीवर ने अपने जीवन काल में बजरिये बिक्रय-पत्र
संख्या- 3283, जिल्द संख्या- 01, पृष्ठ संख्या- 485 से 487,
पुस्तक संख्या- 1, सन् 1970 ई० जिस बिक्रय-विलेख की
रजिस्ट्री दुमका निबंधन कार्यालय में हुई है के द्वारा श्री कालीचरण
दत्त पिता श्री राखालचन्द्र दत्त से अपने नाम क्रय कर तथा अंचल
कार्यालय दुमका में नामांतरण अपने नाम कराकर सम्पत्ति का
भोग-दखल करती रही। सुमित्रा धीवर के स्वर्गवास के बाद उनके
पति श्री विष्णु दयाल धीवर ने अंचल कार्यालय, दुमका में
आवेदन देकर नामान्तरण वाद संख्या- 02/1971-72 ई० में
पारित आदेश के द्वारा अपना नाम पंजी-II में दर्ज करा कर
साल-ब-साल खजाना अपने नाम से देते रहे हैं। विष्णु दयाल
धीवर ने अपनी पत्नी सुमित्रा धीवर के स्वर्गवास के बाद श्रीमति
रेबा धीवर के साथ दूसरा विवाह किया। वर्तमान में विष्णु
दयाल धीवर का भी स्वर्गवास हो चुका है। उनके स्वर्गवास के
बाद उनकी प्रथम पत्नी से उत्पन्न एक पुत्री लीना चौधरी तथा
एक पुत्र गौतम कुमार धीवर उपरोक्त सम्पत्ति के एकमात्र
उत्तराधिकारी हुए। उपरोक्त सम्पत्ति लेख्यकारीगण के दखल-कब्जा
निर्विवाद रूप से है। यह सम्पत्ति बसौड़ी है तथा इसे बिक्रय

Leena chowdhary
27.1.18

Gautam or Shyam
27/1/18

जिला अवर निबंधक
दुमका

(4)

(5)

आदि करने का लेख्यकारी को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

वर्तमान में लेख्यकारीगण को अपने सांसारिक खर्च को अपने व्यवसाय के लिए रुपये का सख्त दरकार है वो बिना विक्रय किए उपरोक्त बसौड़ी सम्पत्ति के रुपये का मिलना कठिन है, इसलिए लेख्यकारीगण ने उपरोक्त सम्पत्ति को विक्रय करने का शोहरत किया, जिसे आप क्रेता ने देखा वो मो० 11,00,000/- (ग्यारह लाख) रुपये में क्रय करने की इच्छा विक्रीदारों पर प्रगट किया। यह कीमत वाजिब कीमत है और इस समय के बाजार दर का सर्वोच्च मूल्य समझा गया है, अतः विक्रेतागण ने उक्त सम्पत्ति को उक्त मूल्य में आप क्रेता को विक्रय करने की अपनी रजामंदी जाहिर की। इस प्रकार इस सम्पत्ति का मूल्य मो० 11,00,000/- (ग्यारह लाख) रुपये में तय हुआ। इसलिए लेख्यकारीगण आज अपनी-अपनी खुशी राजी, अपने-अपने मन-मस्तिष्क एवं शरीर के इंद्रियों की स्वस्थ दशाओं में बिना कोई दबाव को बहकाव प्रसन्नचित एवं स्वच्छन्द वातावरण में क्रेता से उपरोक्त सम्पत्ति का सम्पूर्ण तय मूल्य मो० 11,00,000/- (ग्यारह लाख) रुपये निम्न प्राप्ति रसीद अनुसार लेकर वो प्राप्त कर खाना नम्बर पाँच की वर्णित सम्पत्ति को क्रेता के हाथ बेचा वो बैलाकलामी किया तथा विक्रीत सम्पत्ति का सम्पूर्ण मूल्य प्राप्त किया कुछ भी बाकी नहीं रहा।

Leena Chowdhury
27.1.18.

Guram K. Qlibar
27/01/18

जिला अवर निबंधक
दुमका

(5)

(6)

भविष्य में मूल्य न प्राप्त करने का दावा अमान्य वो वातिल होगा ।
यह कि लेख्यकारीगण द्वारा मूल्य का सम्पूर्ण रुपया आप क्रेता से
प्राप्त कर उक्त सम्पत्ति को आप क्रेता के पक्ष में विक्रय कर दिया
तथा लेख्यकारीगण ने उक्त सम्पत्ति का स्वामित्व अधिकार वो
कब्जा वजिनसहूँ (Exactly) आज की तारीख से अपने तुल्य
अधिकार करा दिया, यानि दखल दे दिया । इस सम्पत्ति पर
लेख्यकारीगण को जो कुछ स्वत्व वो स्वामित्व प्राप्त है वो जो भविष्य
में प्राप्त होता वो सभी आज की तारीख से आप क्रेता को प्राप्त हो
गया ।

यह सम्पत्ति हरेक वारदेन से पाक-साफ है यानि हर तरह के
ऋण-भार से मुक्त है एवं किसी प्रकार भी मुकदमा इस सम्पत्ति पर
न्यायालय में विचाराधीन नहीं है फिर भी निकट भविष्य में उपरोक्त
सम्पत्ति पर किसी तरह का हाल या प्राचीन ऋण-भार पाया जाय, ऐसी
हालत में विक्रेतागण मय वारिसान हर्जाना आदि भुगतान करने के लिये
बाध्य हैं वो रहेंगे ।

अब चाहिए कि क्रेता उपरोक्त सम्पत्ति को लेकर सरकारी
सिरीस्ते में प्रचलित नाम कटवा कर खुद का नाम दर्ज करा लें वो
साल-ब-साल सिरीस्ते में खजाना देकर वसूली का रसीद अपने नाम
से प्राप्त किया करें वो वारिसानुक्रमेण उपरोक्त सम्पत्ति का भोग-दखल,

Leenuchochury-
27. 1. 18

Guram K. Q. Q. Q. Q. Q.
27/1/18

जिला अवर निबंधक
दुमका

(6)

(7)

दान-बिक्रय वो हस्तांतर अपनी इच्छानुसार जो चाहे करें, इसमें बिक्रेतागण मय वारिसान को किसी तरह की उजुर-आपत्ति नहीं होगी, न कभी कर सकेंगे अगर कोई आपत्ति करे या करें तो वो कुल आपत्ति उचित न्यायालय में अमान्य वो वातिल होगी।

Leena chowdhury
27.1.18

लेख्यकारीगण बिक्रेता अपनी-अपनी राजी खुशी से प्रसन्नचित स्वस्थ मस्तिष्क की स्वस्थ दशा में रहकर आप क्रेता श्रीमति रेवा धीवर पति स्व० विष्णु दयाल धीवर (द्वितीय पत्नी) से उक्त सम्पति का मूल्य का सम्पूर्ण रुपये प्राप्त कर यह बिक्रय पत्र आप क्रेता के पक्ष में लिख दिया जो प्रमाण रहे तथा समय पर काम आवें।

Guram Mr. Ghishu
27/01/18

रकम प्राप्ति रसीद

बैंक चेक संख्या	दिनांक	बैंक का नाम	रकम
729847	28.02.2018	SBI Dumka	2,00,000.00
729850	01.04.2018	SBI Dumka	1,75,000.00
729851	02.06.2018	SBI Dumka	1,75,000.00
729852	02.08.2018	SBI Dumka	2,00,000.00
729853	02.10.2018	SBI Dumka	1,75,000.00
729854	02.12.2018	SBI Dumka	1,75,000.00
TOTAL			11,00,000.00

(ग्यारह लाख रुपये मात्र)

जिला अवर निबधक

सम्पत्ति

(7) (8)

इति आज तारीख :- 27.01.2018 ई० ।

(कम्प्यूटर द्वारा टाईप किया)
Susu M

उपरोक्त सम्पति अन्य सड़क के
किनारे है तथा आवासीय है।

Leena choudhary
27.1.18



Guntam Mr. Ali Mr
27/1/18



Reba Dhebar.
27.1.18

Guntam Mr. Ali Mr
27/1/18



कारिक दस्तावेज :- श्रवण कुमार महेता
दुमका ।
दस्तावेज भजमून तैनाद किया,
टंकित के बाद दस्तावेज भजमून
पढ़कर लेख्यकारी गण को सुना
वो समझा दिया, सुन वो समझकर
लेख्यकारी गण ने ह्मारे सामने
अपना अपना हस्ताक्षर किया
श्रवण कुमार महेता
27/1/18


प्रमाणित किया जाता है, कि
प्रत्येक व्यक्ति जिनका ब्याग
नियम दस्तावेज में लगा है
के वॉश हाथ की अंगुलियों
का रीप निशान मेरे द्वारा
किया गया है।
श्रवण कुमार महेता
27/1/18
दस्तावेज लेखक,
दुमका।

जिला अवर निबंधक
दुमका

गौजा - रसिकपुर न० २
थाना - दुमका टाउन
सबडिवीजन नौ जिला दुमका

विक्रेता श्रीमती लीला चौधरी पति श्री सुनील चौधरी
श्री भोतम चौधरी पिता स्व० विष्णु दयाल चौधरी शा० रसिकपुर दुमका
क्रित्री श्री मति रेवा चौधरी पति स्व० विष्णु दयाल चौधरी शा० रसिकपुर -
थाना दुमका टाउन जिला दुमका

जमीनी जगहदीन न० 150/1
दाग न० - 513 का खंड
रकबा
की० क० ५५०
०-०४-०



- श्रीमती
उ० - अशोक प्रसाद साह
द० - विवेका नन्द पत्र
पू० - रमेश स्टेशन रोड
प० - नामु बागु का वगान

Trace by
Amir
Dumka
8-1-2018



27.1.18

27/01/18

जिला अवर निबंधक
दुमका